फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

जगदीश बनाम कमलेश

93/2025 (धारा 7)

क्रमांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वा.फ.उप.। कुर्सीनामा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उभयपक्ष काफी पेशी बाद आवश्यकता से बहस करे। पत्रावली दिनांक 22/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वा.फ.उप.। उभयपक्ष की कुर्सीनामा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं। वास्ते आदेश दिनांक 26/12/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्सीनामा रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 83/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.06.2025

1. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद,
2. रामावतार पुत्र हनुमानसहाय, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर (राज०)

......वादीगण

बनाम

1. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवानसहाय
2. विनोद कुमार यादव पुत्र भगवानसहाय
3. मूली देवी यादव पत्नि स्व० भगवासहाय
4. बाबूलाल यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद
5. महेश कुमार यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद
6. शंकरलाल पुत्र हनुमानसहाय
7. नन्छी देवी पत्नि बाबूलाल यादव
8. श्री महेश यादव की पत्नी बिमला यादव
9. रंजना यादव पत्नी श्री जगदीश प्रसाद यादव
10. अनिता यादव पत्नी श्री रामअवतार यादव
11. ममता यादव पत्नी श्री विनोद कुमार यादव
12. राजू यादव पत्नि श्री कमलेश कुमार यादव

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर (राज०)

13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील जालसू जिला–जयपुर।
14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय जालसू जिला जयपुर।
15. दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
16. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक 26.12.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू. अभि. नि. क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू,

जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 246 जिसके आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 3.42 हैक्टर, 411 रकबा 1.44 हैक्टेयर, 412 रकबा 2.55 हैक्टेयर, 412/1440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 415 रकबा 1.67 हैक्टेयर, 418 रकबा 2.64 हैक्टेयर, 419 रकबा 1.23 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 13.10 हैक्टेयर, खाता संख्या 271 जिसके खसरा नंबर 416 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 417 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर, खाता संख्या 272 जिसके खसरा नंबर 373 रकबा 2.88 हैक्टेयर, 421 रकबा 4.16 हैक्टेयर, 422 रकबा 1.58 हैक्टेयर, 423 रकबा 2.16 हैक्टेयर, 430/1444 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 431 रकबा 2.21 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 13.09 हैक्टेयर वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत् रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है उक्त विवादित आराजीयात् भूमि खाता संख्या 246 में हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम से, खाता संख्या 271 में हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम से एवं हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम से, खाता संख्या 272 में हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में निहित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की खातेदारी है अर्थात् विवादित आराजीयात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि है जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मनबट के अनुसार भूमि का विभाजन कर अपने अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीगण विवादित आराजीयात् में निहित स्वयं के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करता आ रहा है। वादीगण ने विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदारों अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से विवादित आराजीयात् का विधिवत् रूप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 द्वारा वादीगण को तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादीगण के अनेक बार कहने व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। वादीगण द्वारा दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 उग्र हो गये तथा वादीगण को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करवाने से साफ इन्कार

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:53 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया तथा विवादित आराजीयात् जो वर्तमान शामलाती में, कृषि भूमि का विधिवत निपटान किए बिना, गैर–कृषि प्रयोजनों जैसे आवासीय भूखडों, कंक्रीट निर्माण कार्यों, सड़कों आदि के लिए काश्त की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण भूखंडों को बेचने या हस्तांतरित करने का खतरा मंडरा रहा था। इसी कारण वादी के लिए श्रीमान के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वादीगण कानूनन हक अधिकारी है कि विवादित आराजीयात् का वादीगण के कब्जेअनुसार तकासमा किया जाकर जाकर विवादित आराजीयात् में निहित वादीगण के हिस्से का पर्चा लगान अलग से कायम करवायें तथा जरिये तकासमा वादीगण को प्राप्त आराजीयात् का वास्तविक कब्जा वादीगण प्राप्त करें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णितानुसार दिनांक 15.05.2025 को धमकी दिये जाने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 विवादित आराजीयात् को बिना विधिवत् तकासमा करवायें किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना हीं वादीगण को विवादित आराजीयात् में निहित वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना हीं विवादग्रस्त आराजीयात् को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करें, ना हीं प्लॉटिंग करें, ना हीं रोड वगै० डालें, ना हीं कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना हीं निर्माण सामग्री डलवायें, ना हीं वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 14 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। यदि माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं किया जाता है एवं मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध नहीं किया जाता है तो प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् को खुर्द बुर्द कर देंगे तथा वादीगण को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिससे वादीगण के साम्पत्तिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। वाद के [illegible] 15.05.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादित आराजी[illegible] करवानें एवं मद संख्या 6 में वर्णितानुसार कृत्य कर दिये जाने की [illegible] होकर लगातार श्रीमान् के समक्ष जारी है। प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 राज्य सरकार के अधिनस्थ कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु उक्त वाद पत्र शीघ्र प्रवृति का होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व विधिक नोटिस दिये जाने से छूट दिया जाना आवश्यक है जिस हेतु वादीगण धारा 80 (2) सी० पी० सी० का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर रहें है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

संख्या 15 व 16 के अधीन विवादग्रस्त भूमि का हिस्सा रहने होने से पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। मालीयत दावे एवं विवादित सम्पत्ति की स्थिति अनुरूप श्रीमान् न्यायालय को वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र अन्दर मियाद कानूनी उचित न्याय शुल्क पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू...... जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू. अभि. नि. क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 3.42 हैक्टर, 411 रकबा 1.44 हैक्टेयर, 412 रकबा 2.55 हैक्टेयर, 412/1440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 415 रकबा 1.67 हैक्टेयर, 418 रकबा 2.64 हैक्टेयर, 419 रकबा 1.23 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 13.10 हैक्टेयर, खाता संख्या 271 जिसके खसरा नंबर 416 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 417 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर, खाता संख्या 272 जिसके खसरा नंबर 373 रकबा 2.88 हैक्टेयर, 421 रकबा 4.16 हैक्टेयर, 422 रकबा 1.58 हैक्टेयर, 423 रकबा 2.16 हैक्टेयर, 430/1444 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 431 रकबा 2.21 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 13.09 हैक्टेयर भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4677 दिनांक 04.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण दी बैंक आफ राजस्थान लि. शाखा राय... हिस्से खसरा नंबर 422/1 रकबा 0.9148 है., 423/1 रकबा 1.2220 है. 431 ... है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

2. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 2482/10867 जाति अहीर (यादव) सा देह खातेदार राहिन हिस्सा 2482/10867 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 2482/10867 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हि. 2482/10867 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, ममता यादव पत्नि विनोद कुमार यादव हिस्सा 3403/21734 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

रोहिन हिस्सा 3403/21734 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 2500/10867 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 2500/10867युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, राजू यादव यादव पत्नि कमलेश कुमार यादव हिस्सा 3403/21734 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 3403/21734 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 421/1 रकबा 2.5936 है., 422/2 रकबा 0.6652 है., 423/2 रकबा 0.9380 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.1768 है. भूमि रहेगी।

3. अनिता यादव पत्नि रामावतार यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार रोहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/2. जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 373/1 रकबा 2.8208 है., 421/2 रकबा 1.5260 है. कुल किता 2 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।
4. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रंजना यादव पत्नि जगदीश प्रसाद यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 409 रकबा 3.4200 है., 412/2 रकबा 0.8943 है., 412/1440/2 रकबा 0.0325 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।
5. बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, नन्छी देवी पत्नि बाबू लाल यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 415 रकबा 1.6700 है., 418/1 रकबा 2.3308 है., 419/2 रकबा 0.2060 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.2068 है. भूमि रहेगी।
6. महेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बिमला यादव पत्नि श्री महेश यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 411/1 रकबा 1.3920 है., 412/1 रकबा 1.6557 है., 412/[illegible] है., 418/2 रकबा 0.2126 है., 419/1 रकबा 0.9690 है. कुल किता 5 कुल रकबा [illegible] है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

7. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, महेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

इण्डिया शाखा जालसू, नन्छी देवी पत्नि बाबूलाल यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बिमला यादव पत्नि श्री महेश यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रंजना यादव पत्नि जगदीश प्रसाद यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू खसरा नंबर 411/2 रकबा 0.0480 है., 418/3 रकबा 0.0966 है., 419/0.0550 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1996 है. भूमि रहेगी।

8. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 दी बैंक आफ राजस्थान लि.शाखा रायथल, अनिता यादव पत्नि रामावतार यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, ममता यादव पत्नि विनोद कुमार यादव हिस्सा 629/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 629/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 11/144 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 11/144 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, राजू यादव पत्नि कमलेश कुमार यादव हिस्सा 629/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 629/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 373/2 रकबा 0.0592 है., 421/3 रकबा 0.0404 है., 430/1440 रकबा 0.1000 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1996 है. भूमि रहेगी।

9. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा [illegible] मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा जाति अहीर (यादव) [illegible] हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के [illegible] 0.1500 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

10. बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा [illegible] जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा संपूर्ण युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 416 रकबा 0.0300 है., 417/1 रकबा 0.1100 है. भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

11. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 दी बैंक आफ राजस्थान लि. शाखा रायथल, कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान

सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 11/144 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 11/144 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 420 रकबा 0.0200 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.06.2025

नियमित वाद संख्या – 83 / 2025

1. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद,
2. रामावतार पुत्रं हनुमानसहाय, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर (राज०) ......वादीगण

बनाम

1. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवानसहाय
2. विनोद कुमार यादव पुत्र भगवानसहाय
3. मूली देवी यादव पत्नि स्व० भगवासहाय
4. बाबूलाल यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद
5. महेश कुमार यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद
6. शंकरलाल पुत्र हनुमानसहाय
8. नन्छी देवी पत्नि बाबूलाल यादव
8. श्री महेश यादव की पत्नी बिमला यादव
9. रंजना यादव पत्नी श्री जगदीश प्रसाद यादव
10. अनिता यादव पत्नी श्री रामअवतार यादव
11. ममता यादव पत्नी श्री विनोद कुमार यादव
12 राजू यादव पत्नि श्री कमलेश कुमार यादव

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर (राज०)

13.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील जालसू जिला–जयपुर।
14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय जालसू जिला जयपुर।
15. दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
16. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक ... जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

सहायक कलक्टर आमेर क्र. जयपुर

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण दी बैंक आफ राजस्थान लि. शाखा रायथल के हिस्से खसरा नंबर 422/1 रकबा 0.9148 है., 423/1 रकबा 1.2220 है., 431 रकबा 2.2100 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।
2. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 2482/10867 जाति अहीर (यादव) सा देह खातेदार राहिन हिस्सा 2482/10867 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 2482/10867 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हि. 2482/10867 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, ममता यादव पत्नि विनोद कुमार यादव हिस्सा 3403/21734 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार रोहिन हिस्सा 3403/21734 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 2500/10867 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 2500/10867युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, राजू यादव यादव पत्नि कमलेश कुमार यादव हिस्सा 3403/21734 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 3403/21734 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 421/1 रकबा 2.5936 है., 422/2 रकबा 0.6652 है., 423/2 रकबा 0.9380 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.1768 है. भूमि रहेगी।
3. अनिता यादव पत्नि रामावतार यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार रोहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/2. जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 373/1 रकबा 2.8208 है., 421/2 रकबा 1.5260 है. कुल किता 2 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।
4. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रंजना यादव पत्नि जगदीश प्रसाद यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 409 रकबा 3.4200 है., 412/2 रकबा 0.8943 है., 412/1440/2 रकबा 0.0325 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।
5. बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर [illegible] (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक [illegible] नन्छी देवी पत्नि बाबू लाल यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर [illegible] देह [illegible] हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू [illegible] 415 रकबा 1.6700 है., 418/1 रकबा 2.3308 है., 419/2 रकबा 0.2060 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.2068 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:53 IST
Reason: SelfAttested

6. महेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बिमला यादव पत्नि

श्री महेश यादव हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 411/1 रकबा 1.3920 है., 412/1 रकबा 1.6557 है., 412/1440/1 रकबा 0.1175 है., 418/2 रकबा 0.2126 है., 419/1 रकबा 0.9690 है. कुल किता 5 कुल रकबा 4.3468 है. भूमि रहेगी।

7. जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, महेश कुमार यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, नन्छी देवी पत्नि बाबू लाल यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, बिमला यादव पत्नि श्री महेश यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रंजना यादव पत्नि जगदीश प्रसाद यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू खसरा नंबर 411/2 रकबा 0.0480 है., 418/3 रकबा 0.0966 है., 419/0.0550 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1996 है. भूमि रहेगी।

8. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 दी बैंक आफ राजस्थान लि.शाखा रायथल, अनिता यादव पत्नि रामावतार यादव हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, ममता यादव पत्नि विनोद कुमार यादव हिस्सा 629/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 629/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 11/144 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 11/144 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, राजू यादव पत्नि कमलेश कुमार यादव हिस्सा 629/12096 [illegible] (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 629/12096 यु[illegible] जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/6 जा[illegible] राहिन हिस्सा 1/6 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से [illegible] नंबर 373/2 रकबा 0.0592 है., 421/3 रकबा 0.0404 है., 430/1440 रकबा 0.1000 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1996 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. [illegible]

9. कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू विनोद कुमार

यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 417/2 रकबा 0.1500 है. भूमि रहेगी।

10. बाबू लाल यादव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद हिस्सा संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा संपूर्ण युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 416 रकबा 0.0300 है., 417/1 रकबा 0.1100 है. भूमि रहेगी।

11. शंकर लाल पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 दी बैंक आफ राजस्थान लि. शाखा रायथल, कमलेश कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, विनोद कुमार यादव पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 925/12096 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 925/12096 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, मुलीदेवी यादव पत्नि भगवान सहाय हिस्सा 11/144 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 11/144 युनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू, रामावतार पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 420 रकबा 0.0200 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **26.12.2025** को जारी किया।

दस्तखत—
ओहदा—

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		